



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1991/अग्रहायण 1, 1913

No. 684] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1991/AGRAHAYANA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग )

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1991

का. आ. 793 (ग्र) :—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, यह ग्राम होने पर कि कृषि प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले नीचे की सारणी के स्तरम् (2) में विनिर्दिष्ट उप-किस्मों के या उक्त सारणी के स्तरम् (3) में की तत्पात्री प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना सभीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित उप किस्में घोषित करती है।

सारणी

क्रम सं.	उप किस्म	किस्म
1	2	3
1.	ए. डी.टी.-4	उड़द
2.	ए. डी.टी.-5	उड़द
3.	हिमप्रिया (आई सी 13374)	ब्लौट (कूटट)
4.	सी.ओ.-1 नीला कोलुकट्टई	ब्लू बैफेस धास
5.	पी. के. एम.-1	मिर्च
6.	टी.सी.एच.बी.-213	कपास
7.	यू.पी.सी.-4200	लोबिया
8.	आर. सी.सी.-936	रबार
9.	गुजरात ग्वार-1 (जी.ए.यू.जी.-34)	ग्वार
10.	ए.डी.टी.-3	मूग

1	2	3
11. सी ओ-५		मूँग
12. प्रगति (आर.एस-हाई-१)		मूँगफली
13. आई सी जी एस-८६		मूँगफली
(आई सी जी बी-८६५९०)		
14. वी आर आई-३ (वी जी-५५)		मूँगफली
15. सोमनाथ (टी जी-एस-१)		मूँगफली
16. के एस-२		कुलथा
17. सपना (एल.एच-४-३)		मसूर
18. वी एल मसूर-४		मसूर
19. वी एल व्याज-३		व्याज
20. सी एस टी-५-१ (आई इटी-९३४१)		वान
21. हरियाणा वासमती-१		वान
(एच के आर-२२८ आई इटी-१०३६७)		
22. वी एल वान-२२१ (वी आर एस-२२१-१-३-२-२)		वान
23. पी एस के-१		वान
24. पी चाई-४		वान
25. टी वी एस-१		वान
26. सी ओ-४५		वान
27. एकनाथ-३०१ (एम.एच-३३३) (एन वी एच-९)		वाजरा
28. एम एल वी एच-१०४ (एम.एच-३५१)		वाजरा
29. मालवीय राजमाश-१३७ (एच यू आर-१५७)		राजमाश
30. एल डी एस आर एस.एच-१		मुरजमुखी
31. एल डी एस आर एस.एच-३		मुरजमुखी
32. पी के-५६४		सोयाबीन
33. पी टी इक्लप-२१५		गेहूं
34. संगम (सी पी ए.एस-३००४)		गेहूं

[No. 17-2/91-एस वी-४]

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd November, 1991

S.O. 793(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below or the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

S.No.	Variety	Kind
1	2	3
1. ADT-4		Black gram✓
2. ADT-5		Black gram✓
3. Himpriya (IC 13374)		Buck Wheat✓
4. CO-I Neela Kolukattai		Blue Buffel grass✓
5. PKM-1		Chilli✓
6. TCHB-213		Cotton✓
7. UPC-4200		Cowpea✓
8. RGC-936		Cluster bean✓
9. Gujarat Guar-1 (GAUG-34)		Cluster bean✓
10. ADT-3		Green gram✓
11. CO-5		Green gram✓
12. Pragathi (RS-Hy-1)		Groundnut✓
13. ICGS-86 (ICGV-86590)		Groundnut✓
14. VR I-3 (VG-55)		Groundnut✓
15. Somnath (TGS-1)		Groundnut✓
16. KS-2		Horse gram✓
17. Sapna (LH-84-8)		Lentil✓
18. VL Masoor-4		Lentil✓
19. VL Piaz-3		Onion✓
20. CST-7-1 (IET-9341)		Paddy✓
21. Haryana Basmati-1 (HKR-228 IET-10367)		Paddy✓
22. VL Dhan-221 (VRS-221-1-3-2-2)		Paddy✓
23. PMK-1		Paddy✓
24. PY-4		Paddy✓
25. TPS-1		Paddy✓
26. CO-45		Paddy✓
27. Eknath-301 (MH-333/NBH-9)		Pearl millet✓
28. MLBH-104 (MH-351)		Pearl millet✓
29. Malviya Rajmash-137 (HUR-137)		Rajmash✓
30. LDMRSH-1		Sunflower✓
31. LDMRSH-3		Sunflower✓
32. PK-564		Soybean✓
33. PDW-215		Wheat✓
34. Sangam (CPAN-3004)		Wheat✓

[No. 17-2/91-SD-IV]

का. आ. 794(अ) :—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उप किस्मों के या उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीज की व्यालिटी का विनियमन करना समीचीन है, बीज की उक्त उपकिस्म को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित उप किस्म घोषित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	उप किस्म	किस्म
(1)	(2).	(3)
1.	ए. एच. 3425	संकर सूरजमुखी

[सं. 17 / 2/ 91 एस डी /IV]

मालती एस. सिन्हा, संयुक्त सचिव

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below or the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

S.No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	AH-3425	Hybrid Sunflower

[No. 17-2/91-SD-IV]

MALTI S. SINHA, Jt. Secy.

793(E)  
22.11.91.